रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 1975/पौष 23, 1896

No. 19] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 1975/PAUSA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 13th January 1975

S.O. 28(E).—Whereas by Orders of the Government of India in the Ministry of Labour No. L-29011(57)/74-LRIV, dated the 17th December, 1974 and of even number dated the 13th January, 1975 the industrial dispute between the management of Sone Valley Port Land Cement Company Limited, Limestone Quarry, Post Office Baulia, District Rohtas and their workmen has been referred to the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2) Dhanbad for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said establishment in connection with the said dispute on the dates of the above references.

[No. L-29011/57/74-LRIV]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1975

का० आ० 28 (अ).—यतः भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेशों संख्या एल०—29011(57)/74-एल आर० —4, तारीख 17 दिसम्बर, 1974 और इसी संख्या के तारीख 13 जनवरी, 1975 द्वारा सोन वैलि पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट कंपनी लि०, चूना—पत्थर खदान, डाकघर, बौलिया जिला रोहतास के प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया है ?

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उपर्युक्त निर्देशों की तारीखों को उक्त विवाद के सम्बन्ध में उक्त प्रतिष्ठान में विद्यमान हड़ताल के जारी रखे जाने को प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० एल—29011/57/74-एल० आर०—4]

डी० बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975